न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(गौरव अग्रवाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या — 30/2018
प्रविष्टि दिनांक — 19–2–2018

जगदीश पुत्र बजरंगलाल जाति खाती निवासी केरोद, हाल निवासी उनियारा, तहसील उनियारा जिला टोंक

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र लादू, जाति खाती निवासी केरोद, तहसील उनियारा जिला टोंक राजस्थान
2. मदन पुत्र लादू जाति खाती निवासी केरोद, तहसील उनियारा जिला टोंक राजस्थान
3. मोहन पुत्र लादू जाति खाती निवासी केरोद, हाल निवासी बडागांव, तहसील निवाई जिला टोंक
4. शिवप्रसाद शर्मा पुत्र लादू " रावतभाटा वाले " जाति खाती निवासी केरोद, हाल निवासी 22/226, सेक्टर–7, क्षिप्रा पथ, थाने के पीछे, पानी की टंकी के पास, मानसरोवर, जयपुर राजस्थान
5. मु. लादी बेवा लादू जाति खाती निवासी केरोद, तहसील उनियारा जिला टोंक राजस्थान
6. तहसीलदार उनियारा, मुख्यालय अलीगढ़ जिला टोंक राजस्थान

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार उनियारा, दिनांक 20.11.1962 नामान्तकरण सं. 20 ग्राम केरोद, तहसील उनियारा

उपस्थिति : (1) श्री अशोक कासलीवल व जितेन्द्र टाटावत अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री सेतराम चोधरी अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स

आदेश — **दिनांक 17–2–2021**

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि साबिका खसरा नम्बर 3, 115, 163, 350, 448/1, 448/2, 449, 455, कुल किता 8 कुल रकबा 28 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम केरोद तहसील उनियारा जिला टोंक का वादी का पिता मृतक [illegible]ल पुत्र गोपाल जाति खाती साकिन उनियारा की खातेदारी एवं कब्जे, [illegible] रकबा 8 बीघा

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:11:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

7 बिस्वा, 115 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 163 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 350 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 448/1 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 448/2 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 449 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 455 रकबा 14 बिस्वा वाके ग्राम केरोद जिसके हाल खसरा नम्बर 10, 120, 131, 357, 367, 615, 618, 823, 831, 811, 829 बने है, के सम्बन्ध में पटवार हल्का ने नामानतकरण सं0 20 में लिखा है कि " श्रीमान जी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के संशोधित धारा 19 के अन्तर्गत नामान्तकरण भरकर वास्ते सेवा मे पेश है।" इस नामान्तकरण पर बिना जांच किये एवं बिना खातेदार, काश्तकार को सुनवाई का अवसर दिये चुपचाप यह लिखते हुए कि " आज यह नामान्तकरण मुकाम अलीगढ पेश हुआ, मुताबिक रिकार्ड पटवारी व इन्पेक्टर हल्का पर हरब धारा 19 आर.टी.एक्ट लगान पर प्रोपर खातेदारी करार पाता है, दाखिल खारिज......... नग 8 किता 28 बीघा 10 बिस्वा लगानी 48.40 रूपये लादु पुत्र गंगाराम खाती स्वीकार है, कागजात में अमल हो, दिनांक 20.11.1962, एस डी नायब तहसीलदार " इस नामान्तकरण के स्वीकार हो जाने की सूचना भी नायब तहसीलदार द्वारा या नायब तहसील कार्यालय या पटवारी द्वारा अपीलांट के पिता बजरंगलाल को उनके जीवनकाल में नहीं दी गई थी, इसलिये उनकी जानकारी में उक्त कृत्य नहीं आने के कारण नामान्तकरण के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकी। उनका कुछ दिनों के बाद ही देहान्त हो जाने के कारण अपीलांट को भी इस नामान्तकरण की जानकारी नहीं हो सकी। अपीलांट व उसका पुत्र किशन अभी 8 रोज पहले आराजी खसरा नम्बर 163 जिसके नवीन खसरा नम्बर 357 व 367 है, में खडी सरसों की फसल की लावणी करने के लिये देखने के लिये गये तो वहॉ रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 सोहन व मदन हाथो में लट्ठ लेकर आ गये ओर कहा कि यह हमारे पिताजी की खातेदारी में थी, उनके मरने के बाद फौती नामान्तरकरण के जरिए हमारे नाम हो जाने से हम फसल काटेंगे। इस पर अपीलान्ट ने अपने पुत्र किशनलाल को भेजा ओर वहॉ से पता चला कि रिकार्ड कलेक्टर टोंक में भिजवा दिया गया है। इसलिए कलेक्टर टोंक में नकल आवेदन पेश कर नकल दिनांक 9-2-2017 को प्रापत कर जानकारी की दिनांक से अन्दर अवधि नामान्तरकरण सं0 20 दिनांक 20-11-1962 नायब तहसीलदार उनियारा के आदेश के विरूद्ध पेश की गई है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट्स जरिए नोटिस की गई। विवादित नामान्तरकरण की मूल प्रति मंगवाई जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि नायब तहसीलदार उनियारा ने पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के बाद वार्षिक रजिस्टर जमांबंदी में लादू पुत्र गंगाराम खाती का नाम उप कृषक के रूप में अंकित था या नहीं इस बारे में जमाबंदी की जांच नहीं की है तथा रिकार्ड के साथ पटवारी हल्का ने भी ऐसा राजस्व रिकोर्ड की नकल पेश नहीं की है कि लादू पुत्र गंगाराम का उपकृषक अंकित हो। बिना रिकार्ड को देखे गये नायब तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किया गया।. नायब तहसीलदार ने कथित नामान्तकरण को स्वीकार करने से पूर्व अपीलांट के पिता रिकोर्डेड खातेदार बजरंगलाल पुत्र गोपाल खाती को भी कारण बताओ नोटिस ना देकर तथा उसके पीछे से चुपचाप नामान्तकरण स्वीकार करने की सूचना न[illegible] रिकार्ड को दबाये रखा है. विवादित कृषि भूमि के संबंध में खातेदार कृषक का नाम [illegible] विलोपित कर उसके नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:11:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

की खातेदारी लादू के नाम स्वीकार करने का अधिकार नायब तहसीलदार को नहीं था। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 19(2) के तहत उपकृषक के पक्ष में खातेदारी के अधिकार केवल सहायक कलेक्टर ही पारित करने का अधिकारी है, न कि तहसीलदार या नायब तहसीलदार को। साथ ही अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह भी तर्क दिया कि रेस्पोडेण्ट मोहन एंव शिवप्रसाद गत 30 वर्षों से भी अधिक समय से ग्राम केरोद में नहीं रहते हैं बल्कि गॉव छोड़कर बाहर निवास कर रहे हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार द्वारा पारित नामान्तरकरण आदेश दिनांक 20-11-1962 नामान्तरकरण सं0 20 ग्राम केरोद तहसील उनियारा को बजरंगलाल के स्थान पर लादू पुत्र गंगाराम के नाम स्वीकार किया गया है को, निरस्त किया जाकर परिणामिक आनुतोष जो लादू की मृत्यु के बाद फोती नामान्तरकरण रेस्पोडेण्ट सोहनलाल आदि के नाम स्वीकार किया गया है, उन नामों को भी जमाबन्दी से हटा कर दिनांक 20-11-1962 के पूर्व जमाबन्दी में बजरंगलाल का नाम अंकित था, वह बजरंगा पुत्र गोपाल का नाम वापस जमाबन्दी में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें, जिससे की बजरंगलाल के फौती नामान्तरकरण के जरिए अपीलान्ट जगदीश के नाम उक्त भूमि खातेदारी में दर्ज की जा सके।

अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स ने अपीलान्ट की बहस का जवाब देते हुए कथन किया कि अपील दिनांक 20.11.1962 को स्वीकार हुये नामांतकरण सं. 20 वाके ग्राम केरोद तहसील उनियारा के विरूद्ध सन 2018 में आकर प्रस्तुत की गई है, जो 56 वर्ष के विलम्ब के पश्चात प्रस्तुत की गई है तथा अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब का कारण जानकारी नहीं होना बताया है जिसके सम्बन्ध में स्पष्ट निवेदन है कि उक्त नामांतकरण सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाने के पश्चात हल्का पटवारी द्वारा भरा गया था तथा संबंधित गिरदावर द्वारा विधिवत जांच की गई थी तथा उक्त सारी कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात विधिवत रूप से उक्त नामांतकरण स्वीकार होकर जमीन की खातेदारी लादू पुत्र गंगाराम खाती के नाम दर्ज की गई थी। अपीलांट या उसके पिता को उक्त नामांतकरण की जानकारी नहीं हो, यह कतई सम्भव नहीं है, उक्त जमीन प्रारंभ से ही रेस्पोंडेटस की खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है, अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में जानकारी का यह आधार लिया है कि करीब 8 दिन पहले खेत पर फसल की कटाई कराने जाने पर तथा रेस्पोडेंटस द्वारा मना करने पर उक्त खातेदारी की जानकारी हुई, जो मनगढंत है, अपीलांट का उक्त आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा, क्योंकि सन् 1962 के पश्चात सन 1983 में उनियारा तहसील में सैटलमेन्ट कार्य हो चुका है तथा सैटलमेन्ट का कार्य कब्जे के आधार पर नक्शे तैयार कर वार्षिक अभिलेख जमाबंदी में उन्ही कब्जाधारियों के नाम खाते कायम करना होता है, यदि अपीलांट का उक्त आराजी पर कब्जा होता तो दौराने सैटलमेन्ट कही ना कही किसी ना किसी दस्तावेज में इसका इन्द्राज अवश्य होता, परन्तु ऐसा कोई दस्तावेज अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, अपील 56 वर्ष के विलम्ब के पश्चात प्रस्तुत की गई है। इसलिये उक्त अपील को परिसीमा अवधि बाधित मानते हुए खारिज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। रेस्पोडेण्ट्स के अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में आर0आर0टी0 2016(2) पेज नं0 1139, आर0आर0टी0 2018(2) पेज नं0 1552, आर0आर0डी0 1965 पेज नं0 63 पेश की गई ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:11:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकों की बहस को सुना एंव मनन किया तथा पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नायब तहसीलदार ने केवल पटवारी व गिरदावर की रिपोर्ट के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार किया है। बजरंगलाल खातेदार को नोटिस जारी नही किया तथा उसे सुनवाई का अवसर नहीं देकर उक्त नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। जबकि राजस्थान टिनेंसी एक्ट की धारा 19(2) के अनुसार धारा 19 के अन्तर्गत खातेदारी के अधिकारों का देने का प्रावधान केवल सहायक कलेक्टर को है तहसीलदार या नायब तहसीलदार को नहीं है। बिना सहायक कलेक्टर के आदेश के पटवारी हल्का को राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट एवं राजस्व रिकार्ड नियम 131 (b) के अन्तर्गत पटवारी को नामान्तरकरण भरने का प्रावधान नहीं है । तहसीलदार या नायब तहसीलदार को धारा 19 राजस्थान टिनेंसी एक्ट के अन्तर्गत पटवारी द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण को स्वीकार करने का वैधानिक अधिकार नहीं है। हल्का पटवारी व हल्का गिरदावर द्वारा की गयी कार्यवाही नियमों के विपरीत है तथा नायब तहसीलदार का नामान्तकरण स्वीाकार का आदेश दिनांक 20.11.1962 अनाधिकृत एवं अवैध है और प्रारम्भ से ही शून्य है, को कभी भी चैलेंज किया जा सकता है, में अवधि का प्रश्न बाधक नहीं होता है। अतः नायब तहसीलदार उनियारा द्वारा नामान्तरकरण सं0 20 दिनांक 20–11–1962 वाके ग्राम केरोद तह0 उनियारा स्वीकृत किया गया है जिसे निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार उनियारा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण सं0 20 दिनांक 20–11–1962 वाके ग्राम केरोद तह0 उनियारा जिला–टोंक निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17–2–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलेक्टर, टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:11:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner